विहार-विधान-सभा-वादवृत्त।

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एक विधान-सभा का कार्य-विवरण

सभा का अधिवेशन पटने के सभा-सदन में वृहस्पतिवार, तिथि १० जुलाई १९५२ को ११ बजे पूर्वाह्न में माननीय अध्यक्ष श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद वर्म्मा के सभापतित्व में हुआ।

अल्प-सूचना प्रश्नोत्तर।

SHORT-NOTICE QUESTIONS AND ANSWERS.

UNAUTHORISED CUSTODIANS OF GOVERNMENT GRAIN GOLA.

92. Shri JITU RAM : Will the Minister-in-charge of Supply and Price Control Department be pleased to state—

(a) whether it is a fact that some custodians have been appointed without executing a registered agreement and without a security deposit of Rs. 5,000 approved by Government;

(b) whether it is a fact that huge quantities of grains have been kept in their custody for which they will not be held responsible, if damaged or stolen;

(c) if the answer to the above clause be in the affirmative, do Government propose to suspend such unauthorised custodians for the safety of Government grain?

Shri HARINATH MISRA : (a) Stockists were appointed on terms communicated to them by letter. They were all asked to execute agreements on the prescribed form and deposit security. Some of them have not done so and have instead filed representations accepting other terms and asking for an enhanced rate of commission because of alleged special difficulties in Purnea district.

(b) The answer is in the negative. In absence of formal agreement executed on the prescribed form the transactions will be governed by the correspondence exchanged between parties and Govenment and by the Indian Contract Act, and the stockists shall be responsible for any loss to Govenment through their negligence.

(c) Government will replace non-agreement stockists by stockists who have executed agreements on the prescribed form, as soon as as possible.

श्री जीतू राम—सरकारी हुक्म के मुताबिक पहले जो कस्टोडियन्स बहाल हुए थे और

एग्रीमेंट एग्जिक्यूट किये थे उनको छोड़ कर क्या जरूरत पड़ी कि पीछे से और कस्टोडियन्स बहाल किये गये?

वाइस लेने में कोई हर्ज की बात नहीं है। जो ऐडवाइस अच्छा है उसे सब लोग लेने के लिये तैयार रहते हैं। जो ऐडवाइस फॉरेस्टर और रेन्जर से मिलेगा उसे हम लोग लेंगे।

लेकिन मुझे एक बात कहनी है और वह यह है कि जंगल विभाग में आदिवासी अफसरों को प्रोमोशन नहीं मिलता है। हम रेवेन्यू मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करेंगे कि इन अफसरों की फाईल को मंगा कर देखें कि १०-१५ वर्ष से सैटिजफैक्ट्री काम करने पर भी उनको तरक्की नहीं मिलती है और दूसरे अफसर को बहुत जल्द तरक्की मिल जाती है। एक आदमी फॉरेस्टर आज है तो कल रेन्जर और परसों डी० एफ० ओ० बन जाता है और आदिबासी अफसर अपनी जगह पर सड़ते रहते हैं। अगर नाम चाहें तो उन्हें मैं नाम भी दे सकता हूं। हमारे ऑफसरों में से एक दो का रेकर्ड खराब हो सकता है मगर सबके सब का रेकर्ड खराब हैं यह मैं मानने के लिये तैयार नहीं हूं। झारखंड मुवमेंट की तरह उनकी सहानुभूति होने के संदेह में शुरू से ही उनका रेकार्ड खराब करना शुरू हो जाता है। वे लोग जंगल में रहते हैं और अच्छी तरह काम करते हैं फिर भी कोई नुक्स लगा कर उनका रेकर्ड खराब कर दिया जाता है। मेरे कहने का यह मतलब नहीं है कि सब के सब निर्दोष हैं—इनमें दोषी भी हो सकते हैं पर ज्यादे संख्या निर्दोषों का ही है। निर्दोषी अफसर को प्रोमोशन नहीं देना यह अन्याय है। मैं ऐसे-ऐसे केसेज की जानता हूं जिनको आज डी० एफ० ओ० हो जाना चाहिये था पर वे दूसरी तरफ बदल दिये गये हैं और नीचे ही सड़ रहे हैं। इसलिये मैं कहता हूं कि आप फाइल मंगा कर देखें जिसमें किसी पर अन्याय न होने पावे। मैं ऐसे-ऐसे बहुत से केसेज को जानता हूं इस लिये इतना जोर से कह रहा हूं।

हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर ने श्री इगनेस कुजूर को जो जवाब दिया है, उसको मैं जवाब नहीं मानता हूं। मैं कहूंगा कि जब माल मंत्री के विरुद्ध कागज-पत्र बांटे जाते हैं अखबारों में छपते हैं तथा कांग्रेस दल के लोग भी ऐसी बात कहते हैं, तो उनको क्यों नहीं दूसरी जगह, जहां वे फिट करते हैं, दे दिया जाता है?

अध्यक्ष—आप अपने मन की बात कहिये, कांग्रेस दल की बात न कहें।

श्री हरमन लकड़ा—जंगल कानून से हमलोगों को कितनी तकलीफ है, उसपर माल मंत्री गौर करें। उनका हृदय पत्थर का तो नहीं है। वे कुछ पसीज रहे हैं, थोड़ा और पसीजें, और जंगल झाड़ के उन तकलीफों को मिटा दें। इसी आशा के साथ मैं औना प्रस्ताव वापस लेना चाहता हूं।

सभा की सम्मति से प्रस्ताव वापस हुआ।

छोटानागपुर एवं संताल परगना के जंगलों की रक्षा की पद्धति।

SYSTEM OF RESERVATION OF FORESTS IN CHOTA NAGPUR AND SANTAL PARGANAS.

श्री जुनस सुरिन:

Sir, I beg to move:

That the Demand under this head be reduced by Rs. 10. To disouss the irregular system of reserving forest in Chota Nagpur and Santal Parganas.

अध्यक्ष महोदय, सरकार को जितने भी अफसर हैं और वे जो कुछ भी काम करते हैं उससे हम लोगों को कुछ भी फायदा नहीं होता है बल्कि लोगों को तकलीफ हो जाती है। जंगल रिजर्वेशन एक्ट लागु किया है लेकिन मुझे साफ मालूम होता है कि कोई भी काम कानून के मुताबिक नहीं होता है। अभी जंगल रिजर्वेशन का जो सिस्टम है वह खराब है।

श्री कृष्णवल्लभ सहाय—अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि जितने कट-मोशन मूव किये गये हैं, उनके साथ फॉरेस्ट के बारे में सप्लिमेंट्री बजट में जो प्रोविजन्स हैं ये कट-मोशद का कोई रेलिवेन्सी नहीं है। आप फॉरेस्ट के ऊपर रेगुलर डिसकसन एलाउ कर दें, यह दूसरी बात है।

अध्यक्ष—जब जंगल की रक्षा के लिये बहाली की बात है तब माननीय सदस्य को बोलने का अधिकार है।

*श्री राम चरित्र सिंह—जब हाउस का डिसिसन मोशन पर एक बार हो गया तब फिर दूसरा मोशन लाना ऑर्डर में नहीं होगा।

अध्यक्ष—जब डिमांड में १० कट-मोशन हैं और एक कट-मोशन नामंजूर हो गया तब दूसरा कट-मोशन नहीं आयगा, ऐसी बात नहीं है।

श्री राम चरित्र सिंह—एक बार हाउस ने अपना मत दे दिया है और होल थिंग हैज बीन थ्रेड, तब इसी पर दूसरा कट-मोशन लाना ऑर्डर में नहीं होगा।

अध्यक्ष—हमारे सामने दूसरा दृष्टिकोण है। जब सरकार रिऑर्गेनाइजेशन ऑफ दी स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और ए परमानेन्ट बेसिस कर रही है तब माननीय सदस्य बोल सकते हैं।

श्री राम चरित्र सिंह—जो सबजेक्ट है उसी पर कट-मोशन आ सकता है, जिस डिमांड पर अभी हाउस का डिसिसन हो गया.....

अध्यक्ष—डिमांड पर तो डिसिसन नहीं हुआ।

श्री राम चरित्र सिंह—कट-मोशन जो डिसकस हो गया और हाउस का डिसिसन उस पर हो गया तो फौरन ही उसी चीज पर फरदर डिसकसन आर्डर में नहीं है।

अध्यक्ष—८७,३२५ रु० का डिमांड है—इसमें एक आइटम है इस्टैब्लिशमेंट। २६,७०० उसमें और-और आइटम्स बाकी हैं।

श्री राम चरित्र सिंह—सब हो गया। अब कोई चीज बाकी नहीं है जिसपर बोला जा सके।

अध्यक्ष—सबजेक्ट-मैटर्स अगर आइडेंटिकल हैं तो हम इन्कार कर देंगे ; लेकिन सबजेक्ट मैटर्स आइडेंटिकल नहीं है तो दूसरा कट-मोशन आ सकता है। वह अभी ऑफिस पर नहीं बोलेंगे, लेकिन रिजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट्स पर बोलेंगे।

श्री राम चरित्र सिंह—जिस पर डिमांण्ड नहीं है कैसे बोलेंगे ?

*मंत्री ने भाषण संशोधित नहीं किया।

अध्यक्ष—आप का तो डिमान्ड है फॉर रिआर्गेनाइजेशन इसलिये वह दलील पेश कर सकते हैं कि दी सिस्टम ऑफ रिआर्गेनाइजेशन इज डिफेक्टिव।

श्री राम चरित्र सिंह—लास्ट मोशन में तो सब हो गया। दी होल थिंग हैज बीन डिसकस्ड ऐंड दी हाउस डिड नौट ऐकसेप्ट दिस व्यू।

अध्यक्ष—हमारे सामने रिजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट्स पर डिसकसन नहीं हुआ। हम एलाउ करत हैं श्री सुरिन को बोलने को।

श्री जुनस सुरिन—अध्यक्ष महोदय, हम बोल रहे थे कि रिजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट्स इरिगुलर है। सेक्शन १४ ऑफ दी फॉरेस्ट ऐक्ट साफ-साफ कहता है—प्राइवेट प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट्स शुड बी रिजर्वड व्हिच इज अंडर दी पोजेशन ऑफ दी जमीन्दार्स।

अध्यक्ष—शांति, शांति। आप के कट-मोशन पर बोलना बहुत कठिन है।

श्री जुनस सुरिन—यह तो ऐक्ट की बात है।

अध्यक्ष—ऐक्ट की बात हम नहीं मानते। फॉरेस्ट के ऑर्गेनाइजेशन के लिये यह सिस्टम उनका गलत है। इस तरह से फॉरेस्ट को नहीं रखना होगा, दूसरे तरह रखना होगा यह आप कह सकते हैं। लेकिन आप यह नहीं कह सकते हैं कि फॉरेस्ट का रिजर्वेशन नहीं हो।

श्री जुनस सुरिन—ऐक्ट के मुताबिक जमींदार का फॉरेस्ट रिजर्व होना चाहिये यही हमको कहना है।

*श्री सिदुई हेम्ब्राम—श्री जुनस सुरिन का कहना है कि प्राइवेट फॉरेस्ट्स ऐक्ट के अनुसार-अभी जो ऐक्ट लागू किया गया है, काम नहीं हो रहा है और वह इसी से ऐक्ट को कोट करना चाहते हैं।

SPEAKER: But it has to be within the four corners of this Cut-motion.

Shri TRIBENI KUMAR: The whole question of reorganisation is included therein, Sir.

अध्यक्ष—अभी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो स्टाफ है, वह ठीक नहीं है, इस तरह काम कीजिये—यह बता सकते हैं। लेकिन आप होलसेल रेगुलर डिसकसन करना चाहें यह नहीं कर सकते।

श्री जुनस सुरिन—हमारा यही कहना है कि सिस्टेमिटिक तरीके पर रिजर्वेशन नहीं हुआ है और इसी पर हमारा कट-मोशन है। हम यही देखलाना चाहते हैं वेदर इट इज रेगुलर और इरेगुलर हम यही देखलाना चाहते हैं कि इस सिस्टेम से पब्लिक को या गवर्नमेंट को फायदा है या नहीं।

*सदस्य ने भाषण संशोधित नहीं किया।

जिसकी जमींदारी है उसको नोटिस मिलनी चाहिये। आप रिजर्वड फॉरेस्ट में मनमाना काम कर रहे हैं, यह हमें पसन्द नहीं है। छोटानागपुर टिनैन्सी ऐक्ट में यह प्रोविजन है कि जिस जमींदार का जंगल हो उसे नोटिस मिलनी चाहिये। मैं रेलिवेंट सेक्शन को पढ़ देना चाहता हूं।

No Zamindari or portion thereof shall be transferable to any one whether in execution of a decree in a court of law or otherwise.

जब इस किस्म का हक कानून में दिया हुआ है तब आप के अफसरान क्यों कानून के खिलाफ काम करते हैं। कनस्टीच्यूशन के आर्टिक्ल ३१ में भी यह साफ लिखा है कि

No person shall be deprived of his property except by his due process of law.

अपने मित्र श्री कृष्ण वल्लभ सहाय से मैं यह पूछना चाहता हूं कि जब झारखंड की जनता रिजर्वड फॉरेस्ट का पसन्द नहीं करती है तो आप क्यों इस चीज को मेरे सर पर मढ़ रहे हैं। जिस काम से जनता को कोई लाभ नहीं होता वह काम सरकार को नहीं करना चाहिये। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वे मेरे साथ चलें और देखें कि झारखंड के कोने-कोने से यह आवाज आरही है कि रिजर्वड फॉरेस्ट नहीं होना चाहिये।

(अवकाश : *Interval for lunch*)

श्री जुनस सूरिन—अध्यक्ष महोदय, हम बोल रहे थे कि काम के मुताबिक सिस्टम ठीक नहीं है। केस ठीक नहीं है उसको हम हाउस को सुनाना चाहते हैं। जब कोई फॉरेस्ट को रिजर्व किया जाता है उसके पहले स्थानीय भाषा में नोटिस देनी चाहिये। मगर यह नहीं किया गया। कहा गया कि जिसको उज्र होगा वह दरखास्त देगा। थाने थाने से, गांव-गांव से हजारों दरखास्तें दी गई। दिल्ली के और बिहार के अफिसर्स के पास दरखास्त दी गई मगर कोई सुनवाई नहीं हुई और बाद में जबरदस्ती आर्मड फोर्स और बाहर से कुली ले जाकर जंगल को डिमार्केट किया गया। यह काम अनसिस्टेमेटिक और गैरकानूनी हुआ। आपने फॉरेस्ट गार्डस को भेजा और वे दखल जमाने लगे। खतियान नं० II में लिखा हुआ है कि हरएक गांव के जंगल से वहां के स्थानीय लोग जलावन के लिये या घर बनाने के लिये लकड़ी ले सकते हैं और इसमें कोई रोक-टोक नहीं कर सकता है। मगर आप के फॉरेस्ट गार्डस वहां के बाशिंदे पर रोक-टोक बराबर करते हैं। यह अनसिस्टेमेटिक काम होता है। निशितपुर गांव के दो औरतों से ८० रुपये लिये गये थे क्योंकि वे लकड़ी ले रही थीं।

अध्यक्ष—क्या आप जितनी बातें जानते हैं सभी को इसी कट-मोशन पर कह देना चाहते हैं? आप की बातें संगत होनी चाहिये।

श्री जुनस सूरिन—मैं तो ऐक्ट की बात कह रहा हूं। खैर, फिर भी संक्षेप करूंगा। रांची जिले के भाई लोग बहुत दिनों से जंगल की हिफाजत करते आ रहे थे मगर डिमार्केट करने के बाद ही हमारी सरकार के लोग इसे बिक्री करने लगे। इससे सरकार को फायदा क्या हुआ? जब सब लोग कहते हैं कि रिजर्व नहीं करना चाहिये तो आप उनके ऐडवाइस को न सुनकर आपके फॉरेस्ट गार्ड जो कहता है उसको सुनते हैं। आपको चाहिये कि फॉरेस्ट गार्ड के ऐडवाइस सही है या गलत

है उसको तसदीक करें और उसके बाद रिजर्व करने के बारे में कार्रवाई करें। आपके इस तरह की पॉलिसी से लोग तंग हो गये हैं। इससे वहां के वाशिन्दे में काफी असंतोष है। रिजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट की वजह से ही रांची जिले में कांग्रेस हार गयी, मगर फिर भी आप अपने पॉलिसी पर डटे हुए हैं। जंगल को रिजर्व करने के लिये बहुत खर्च करना पड़ता है। उसके लिये ५३ लाख की मंजूरी दी गई थी मगर फिर ८७ थाउजैन्ड्स की मांग आ गई। ऐसी हालत में क्यों जंगल को जबरदस्ती रिजर्व कर रहे हैं? इसलिये मेरा कहना है कि खुदकाश्ती और रैयती जंगल को खर्च के लिहाज से और आदमियों की मांग को रखने के लिहाज से रिजर्व करना छोड़ देना चाहिये। उसे टच नहीं करना चाहिये। जैसा कानून है उसके मुताबिक रिजर्वेशन किया जाय। अध्यक्ष महोदय, इन बातों को कहने के लिये हम खड़ा हुए थे।

अध्यक्ष—इसके बाद के जितने कट-मोशन हैं उनको मैं आउट ऑफ आर्डर डेक्लेयर करता हूं क्योंकि ये नियमानुकूल नहीं हैं। उनके नम्बर हैं ४१, ४२, ४३, ४४, ४५, ४६, ४७ एंड ४८।

श्री अलफ्रेड उरांव—अध्यक्ष महोदय, छोटानागपुर के जो वाशिन्दे हैं उनको जंगल से सम्बन्ध है और वे जानते हैं कि जंगल ही हमारे जीवन-मरण का सवाल है। वे यह भी जानते हैं कि जंगल का रहना जरूरी है। छोटानागपुर के वाशिन्दे यह नहीं चाहते हैं कि जंगल उजाड़ हो जाय और उसकी रक्षा न हो। ठीकेदार जमींन्दार से ठीका लेकर उसको उजाड़ने की कोशिश करे तो वे लोग उसकी रक्षा करते आये क्योंकि उन्हें जंगल की रक्षा करने में काफी इन्टरेस्ट था। जंगल की रक्षा करने के लिये वे लोग अपनी तरफ से एक आदमी मुकर्रर करते थे और उनको मेहनताना भी देते थे। इसलिये उस आदमी के जरिये जंगल की देखभाल होती थी। इसके अलावे गांव के सब लोगों को जंगल से इन्टरेस्ट था और और हरएक आदमी उसकी निगरानी करते थे। लेकिन अब तो उन लोगों के बदले में फॉरेस्ट गार्ड वहां पर रख दिया गया है, गरचे उनके रहने से खर्चा बढ़ता ही जा रहा है और जंगल की रक्षा भी नहीं हो रही है। इसका कारण यह है कि वे लोग जंगल की रक्षा करना नहीं चाहते हैं और न वे ठीक से रक्षा ही कर सकते हैं। गांव वाले तो को-आपरेशन से जंगल की रक्षा कर लेते हैं। इसलिये मेरा कहना है कि जंगल की रक्षा का इन्तजाम गांववालों के ही जिम्मे सौंप दिया जाय। छोटानागपुर के रहनेवाले तो जंगल की रक्षा करने वाले जाति है। फॉरेस्ट्स गार्डस जंगल में बिहार करते हैं, जैसा कि हमारे दोस्त श्री हरमन लकड़ा ने बताया है। लेकिन फॉरेस्ट गार्ड से जंगल की रक्षा नहीं होती है। वे औरतों की साड़ी भी छीनने में हिचकते नहीं है।

अध्यक्ष—सभी बात यहां न कहें।

श्री अलफ्रेड उरांव—मैं तो जंगल ही की रक्षा की बात तो कह रहा हूं। एक बात और है जिसको कह देना जरूरी समझता हूं। जो बातें यहां नहीं कही गयीं थीं उनको भी हमारे मंत्री महोदय ने भी अखबारों में छपने के लिये भेज दिया। सरकारी अखबारों में भी निकाला गया। इससे हमारी बेइज्जती होती है। इन्हीं चीजों को कह कर मैं बोलना बन्द करना चाहता हूं।

Shri PURUSHOTTAM CHAUHAN: Sir, I rise to oppose the cut-motion moved by my friend about the supplementary budget. I am glad that the Government has taken up the business of re-organising the Jungle Department and for that purpose Government have come forward for some appointments of clerks and District Forest Officers and others. Sir, while taking this job I would request the Government to come forward with the report of the Forest Enquiry Committee which the Government had appointed about 3-4 years back. It is surprising the Committee toured the whole of Chota Nagpur and collected evidence and submitted the report but up till now the Report has not been published. I do not know the reason of it. Sir, whatever suggestions were made to Government it should be incorporated in the form of an amending Bill to the Private Forest Act so that the grievances of the people of Chota Nagpur may be removed. I would, therefore, request the Hon'ble Minister in charge of Forest to take up these matters of the Enquiry Committee Report as soon as possible. I am surprised, Sir,.....

श्री कृष्ण वल्लभ सहाय—श्री चौहान रेलिवेन्ट नहीं हैं। जितनी बातें श्री जुनूस सुरिन ने रेज़ किया है, डिसकसन उसी पर कौनफाइन रहना चाहिये। अगर जेनरल डिसकसन शरू हो जायगा तो जवाब देना मुश्किल हो जायगा।

श्री रामेश्वर प्रसाद महथा—माननीय अध्यक्ष महोदय, दि बिहार प्राइवेट फॉरेस्ट्स ऐक्ट को लागू करने से जंगलों की हिफाजत करना इसका उद्देश्य रहा है। साथ ही साथ हमलोगों को उन इलाकों के रैयतों के हक की हिफाजत करना जरूरी हो जाता है। इस लिये मैं कुछ बातें ऐसी कहना चाहता हूं जिससे वहां के लोगों को रिलीफ मिल सके। यह कहा गया है कि फॉरेस्ट्स का डिमाकशन हुआ है। लेकिन उस डिमार्केशन से पता चला है कि बहुत से काश्तकारों की जमीन जंगल के अन्दर ले ली गई है। बहुत-सी जगहों में जंगल छोड़ दिए गये हैं जिसको लोगों ने फॉरेस्ट डिपार्टमेन्ट के कौनाइवेन्स से ऐग्रिक्लचुरल लैन्ड में परिवर्तन कर दिया है। उसका सबूत हजारीबाग जिला में जरूर मिल सकता है जहां के बारे में मैं कुछ जानता हूं।

दूसरी बात यह है कि जो डिमार्केशन का मतलब है वह काश्तकारों के लिए बड़े फायदे की चीज है लेकिन वैसा नहीं करने से उनलोगों को क्षोभ और दुख है। आज जंगली इलाकों में रैयतों का जो हक है वह वहां सुरक्षित नहीं है।

अभी दस-पन्द्रह दिन की बात मैं कहता हूं। मैं अपने इलाके में गया था। वहां मैंने देखा है कि जो कूप दिये जाते हैं वे बहुत दूर दिये जाते हैं। वे ४ या ५ मील की दूरी पर दिये जाते हैं। गवर्नमेंट ने जो डिपो खोल रखा है वह भी बहुत दूर पर है।

श्री कृष्ण वल्लभ सहाय—माननीय सदस्य श्री जुनूस सुरिन के कट-मोशन के दायरे के बाहर जा रहे हैं। उन्होंने डिमार्केशन के बारे में कहा है,डिपो के बारे में नहीं

अध्यक्ष—प्रस्तावक ने जिन चीजों को कहा है उन्हीं पर आप बोल सकते हैं।

श्री रामेश्वर प्रसाद महथा—जंगल में छोटे २ के सेज होते हैं।

अध्यक्ष—केस के बारे में आप बहस नहीं कर सकते हैं।

श्री रामेश्वर प्रसाद महथा—मैं एक जरूरी सुझाव देना चाहता था। लेकिन अगर हम इस दायरे से बाहर नहीं जा सकते हैं तो दूसरे समय बोलेंगे।

श्री कृष्ण वल्लभ सहाय—अध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत कम जवाब देना है। क्योंकि जंगल के संबंध में बहुत सी बातें कही गई है, लेकिन श्री जुनस सुरिन,, ने भूईंहारी, खुटकट्टी और रैयती के बारे में कहा है कि अगर इसको अलग नहीं करते हैं तो इल्लिगल करते हैं। मैं प्राइवेट फॉरेस्ट ऐक्ट को कोट करना यहां नहीं चाहता हूं। मैं सिर्फ इतना ही करना चाहता हूं कि डिमार्केशन के भीतर जो रैयती जमीन है उसको हम नहीं छोड़ सकते हैं। मगर हम छोड़ देंगे तो जंगल की रक्षा का काम बन्द कर देना पड़ेगा। जंगल के बाहर जो खेत हैं उनको मैं छोड़ देने को तैयार हूं। जंगल के अन्दर जो एक दो कठ्ठा रैयती जमीन है उसको हम नहीं छोड़ रहे हैं। सरकार की यही नीति है।

श्री जुनूस सुरिन—मैं कहना चाहता हूं कि छोटानागपुर टेनेन्सी ऐक्ट के मुताबिक जिस रैयत को खुटकट्टी, भूइंहारी और रैयती जगंल का हक है उसको सरकार को छोड़ देना चाहिये। इसके अलावे जितने जंगल छोटानागपुर के जमींदारों के हैं उनको अगर सरकार ले ले तो में कोई उज्र नहीं है।

रिऑगनाइजेशन के बारे में हम कहेंगे कि अगर आप मुंडा पहाड़ी और महतो वगैरह जो जाति है इनको फुल राइट दे दें तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस काम को आप ५० वर्ष में कर सकते हैं उसको वे सिर्फ १० वर्षों में ही कर देंगे।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि इस शीर्षक की मांग में से १० रुपया घटाया जाय।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

चम्पारन के जंगल।

FORESTS IN CHAMPARAN

*श्री राम अयोध्या प्रसाद—मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस शीर्षक की मांग में से १० रुपया घटाया जाय।

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने जंगल के सम्बन्ध में बहुत सी बातें कही हैं मैं सिर्फ चम्पारण के जंगल के बारे में कुछ कह देना चाहता हूं। वहां के जंगल का एरिया मैं समझता हूं कि लगभग ३५० वर्ग मील से कम नहीं है जो रामनगर से लेकर बगहा और त्रिवेणी तक फैला हुआ है। राजस्व मंत्री ने अभी इस हउस ~ जवाब देते हुए यह कहा है कि मैं जंगल के बचाव के लिये पूरा प्रयत्न करता हूं और बहुत से जंगल और लगाने की बात सोंचता हूं। लेकिन जब मैं मौजूदा जंगल की बरबादी देखता हूं तो मुझे मंत्री जी की बातें सिर्फ काल्पनिक बातें मालूम होती हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं पहले बगहा जंगल की बात आपके सामने रखना चाहता हूं।

*सदस्य ने भाषण संशोधित नहीं किया।